फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, भीण्डर उदयपुर जिला उदयपुर

ार्थी : श्री खेमराज उर्फ खुमा बनाम विपक्षी : श्री पुरा व अन्य

केस्म मुकदमा – प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 114 सपठित पत्रावली संख्या : 113/22

ारा 151 जा.दी. एवं धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

क्रमांक	कार्यवाही विवरण

दिनांक : 22.04.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारन उपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी जा चुकी है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 2, 3 द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) वल्लभनगर के समक्ष पेश किया गया था जिसमें दिनांक 25.06.2015 को कोर्ट कैम्प सालेडा में उपस्थित हुए जहां प्रार्थी व विपक्षी संख्या 2 व 3 को यह बताया गया कि उक्त वाद को स्वीकार कर लिया गया है और वाद में निर्णय व डिक्री केम्प कोर्ट पर पारित की जा रही है जिस पर प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 2 व 3 द्वारा कैम्प कोर्ट में कहे गये दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर/अंगुठा निशानी कर दी गई। उसके बाद प्रार्थी अपने अधिवक्ता के पास गया और अपने अधिवक्ता को बताया कि उक्त वाद को केम्प कोर्ट पर स्वीकार कर लिया गया है और इसमें निर्णय व डिक्री केम्प कोर्ट पर पारित कर दी गई है जिस पर प्रार्थी के अधिवक्ता ने केम्प कोर्ट सालेडा पर फैसलशुदा प्रकरणों की सुची देखी व प्रार्थी को भी बताई जिसमें भी उक्त वाद को धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकार होना दर्शा रखा था। यह कि प्रार्थी को उक्त वाद की प्रतिलिपी प्राप्त होने से उसमें वादग्रस्त भूमि का बंटवाडा पक्षकरान के मध्य हिस्से कब्जे अनुसार करने के आदेश दिए गये है जबकि उक्त वाद 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत हुआ ही नहीं है जिससे दिनांक 25.06.2005 का आदेश व डिक्री पुरी तरह विधिक के प्रतिकुल होकर व डिक्री चाहे गये अनुतोष के आधार पर आधारित नहीं है जबकि इस वाद में प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 2, 3 द्वारा अपनी सहमती चाहे गये अनुतोष के आधार पर वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में डिक्री किये जाने हेतु दी गई थी जिससे आदेश दिनांक 25.06.15 प्रकरण संख्या 16/15 रे. वाद को निरस्त कर प्रकरण में नये सिरे से धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत पारित किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में विपक्षी द्वारा अपने जवाब में बताया कि दिनांक 25.06.2015 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट सालेडा के लिए न्यायालय ने पक्षकरो को नोटिस जारी किये जिस पर पक्षकार उपस्थित हुए और पक्षकारान ने पीठासीन अधिकारी एवं कैम्प कोर्ट के प्रभारी अधिकारी को निवेदन किया कि वाद वर्णित आराजीयात का बंटवाडा हिस्से एवं कब्जे अनुसार किया जावे इस पर न्यायालय ने दोनो पक्षों की सहमति के हस्ताक्षर करने को कहा जिस पर पक्षकारान सहित प्रार्थी ने भी सहमती के हस्ताक्षर किये और [illegible] अधिकारो शक्तियों का प्रयोग करते हुए पक्षकारान की बटंवाडे की दाद को स्वीकार [illegible] वाद को प्रारम्भिक रूप से डिक्री कर दिया ओर उप तहसीलदार भीण्डर को बटंवाडा कमिश्नर [illegible] नियुक्त किया और प्राथमिक डिक्री जारी कर उप तहसीलदर भीण्डर को [illegible] प्रस्ताव पारित [illegible] विभाजन सूची, लगान सूची, नक्शाट्रेस की 2–2 प्रतियां [illegible] करते हुए वाद को निर्णित [illegible] [illegible]का न्यायालय में पुर्ण अधिकार है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:23:10 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज प्रकरण संख्या 16/15 रे.वाद
बनाम पुरा के अध्ययन से पाया की उक्त वाद प्रार्थी व विपक्षी संख्या 2, 3 द्वारा
88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया गया जिसमें दिनांक 25.
लोक अदालत कैम्प कोर्ट सालेडा में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
प्रारम्भिक डिक्री जारी कर बंटवाडा किये जाने के आदेश दिये गये जबकि वादी
घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया है। वादीगण द्वारा अपने वाद में बंट
रिलिफ चाही नहीं गई है जिससे न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बल
दिनांक 25.06.2015 प्रथम दृष्टया ही त्रुटि पुर्ण प्रतित होता हैं जिससे प्रकरण को रिव्यु
न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना अन्तर्गत धारा 114 सपठित 151
अन्तर्गत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का रिव्यु, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 114 सपठित धारा 151
धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है तथा रेवेन्यु वाद
अनवान गंगाराम बनाम पुरा की आदेशिका दिनांक 25.06.2015 को अपास्त किया जाता
रेवेन्यु वाद 16/15 को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। मुल पत्रावली तत
लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:23:10 IST
Reason: SelfAttested